18/5/17 प्रकरण मय सार. पेश. वाद।
पत्रावली [illegible]
[illegible] पेश करने [illegible]
[illegible] दिनांक 22/5/2017
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जि.पाली (राज.)

दिनांक 19/5/17

पक्षकारान/[illegible] [illegible]।

राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर, पाली के निर्देशानुसार [illegible] पंचायत [illegible]लय के अटल सेवा केन्द्र पर [illegible] शिविर का आयोजन रखा गया है, [illegible] विचाराधीन व नवीन [illegible] की भावना के तहत पक्षकारों [illegible] अथवा मेरिट के आधार पर [illegible] जायेगा।

अतः [illegible] पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया [illegible] राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र साण्डेराव पर आयंदा दिनांक 6/6/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

रा.वि. सं. 449/2013 पुष्पादेवी बनामः रमेशसिंह वगैरा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

दिनांक 06.06.2017

पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित।

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र साण्डेराव में बरोज आज पेश हुई। प्रश्नगत् मामले से संबंधित मूल पत्रावली राजस्व वाद सं. 26/2013 का निस्तारण इस आयोजित केम्प में हो चुका है, ऐसी विधिक स्थिति में इस प्रकरण की कार्यवाही को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः इस प्रकरण की कार्यवाही को ड्रोप अर्थात खारिज किया जाता है। आदेश इस आयोजित केम्प में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला पाली

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner